न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 12/2017 (अवमानना प्रार्थना पत्र)

बद्रीलाल पिता सोहनलाल जी खटीक, निवासी पोटला, तहसील सहाडा, जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... प्रार्थी/याची

बनाम

1. ब”ीलाल पिता गिरधारीलाल जी खटीक, निवासी पोटला, तहसील सहाडा, जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती सोहनी देवी पत्नी धनराज जी नायक, निवासी सेगनवास, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. बसन्तीलाल जी जिनगर, पटवार हल्का सालमपुरा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

..... विपक्षीगण

अवमानना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदे”ा 39
नियम 2ए सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाशक प्रार्थी/याची

2– श्री जी.एस. मेहता अभिभाषक विपक्षी सं. 2

3– बसन्तीलाल जिनगर पटवारी हल्का स्वयं

———::———

निर्णय दिनांक

29–08–2019

यह अवमानना याचिका याची द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि आप न्यायालय द्वारा प्रकरण में विपक्षीगण के विरूद्ध स्थगन जारी कर मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये जाने

के आदे"ा दिये गये थे, जिसकी जानकारी विपक्षीगण को होने के बावजूद भी विपक्षी संख्या 1 द्वारा नुमाई"ाी विकय विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में कर दिया गया है तथा विपक्षी संख्या 3 की मिली भगत से अवैध कार्यवाही की गयी है। अतः विपक्षीगण के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही करते हुए सिविल कारावास से दण्डित किया जावे एवं उनकी सम्पत्ति कुर्क की जावे।

उक्त आवेदन का विपक्षी संख्या 3 द्वारा दिया जाकर निवेदन किया कि स्थगन प"चात रेकार्ड में आज दिनांक तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा भी उक्त आवेदन सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13–06–2017 को उपखण्ड अधिकारी आमेट के निर्णय व डिकी दिनांक 15–05–2017 में वर्णित आराजियात की दिनांक 17–07–2017 तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदे"ा दिये गये थे। प्रार्थी का कथन है कि विपक्षीगण द्वारा आप न्यायालय के स्थगन आदे"ा की अवमानना की गयी है, किन्तु उनके द्वारा अपने कथन के समर्थन में मात्र फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये हैं, जो विवादित भूमि से ही संबंधित हो, ऐसा प्रकट नहीं होता है, जबकि इसके विपरीत स्वयं विपक्षी संख्या 3 पटवारी हल्का ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि स्थगन प"चात रेकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं किया गया एवं रेकार्ड की यथास्थिति कायम है। तद्नुसार विपक्षीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का अवमानना का प्रकरण नहीं बनता है।

अतः प्रार्थी/याची द्वारा पेश अवमानना याचिका प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29–08–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी

एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर